सर्वोच्च प्राथमिकता

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 1–24/05/22/वि–4 भोपाल, दिनांक 18/8/05

प्रति,

1. **संचालक,**
   पंचायत एवं सामाजिक न्याय,
   1250, तुलसी नगर, भोपाल।
2. **संचालक,**
   वाटरशेड मिशन एवं समन्वयक मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,
4. **परियोजना समन्वयक,**
   डी.पी.आई.पी.,
5. **परियोजना समन्वयक,**
   म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना,
6. **संचालक,**
   महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान,
   आधारताल जबलपुर,
7. **संचालक,**
   भूमि एवं जल प्रबंध संस्थान,
8. **कार्यपालक निदेशक एवं सचिव,**
   म.प्र. जन अभियान परिषद्, भोपाल।
9. **संयुक्त आयुक्त,** स्थापना
   विकास शाखा–2,
10. **मुख्य अभियन्ता,**
    ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
    विकास आयुक्त कार्यालय,
    विंध्याचल भवन, भोपाल।

1844/05
30/8/05

SCIC

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन।

संदर्भः– विभाग का पत्र क्रमांक 1780/05/22/वि–5/समन्वय, दिनांक 03.8.05।

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें जिसके संलग्न भारत के राजपत्र में प्रकाशित **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** की फोटोप्रति संलग्न प्रेषित कर यह निर्देशित किया गया था कि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 में उल्लिखित अनुसार सुसंगत अभिलेखों का संधारण एवं 17 बिंदुओं के संबंध में जानकारी तैयार कर लें।

2/ आशा है, आपने उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कर ली होगी।

3/ इस संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के समुचित क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार और निर्देश भी दिए जाते हैं, जिनका पालन सुनिश्चित किया जाए :–

3.1 अधिनियम की धारा 4 (1) (a) अनुसार प्रत्येक लोक अधिकारी सभी सुसंगत अभिलेख विधिवत् सूचीबद्ध कर इस प्रकार और इस तरह से संधारित करेगा जिससे अधिनियम के तहत सूचना के अधिकार का उपयोग सुनिश्चित हो सके। जिन अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया जाना संभव हो, उन्हें तदनुसार कम्प्यूटराईज्ड कर संधारित किया जाए।

3.2 अधिनियम की धारा 4 (1) (b) अनुसार 17 बिंदुओं के संबंध में तैयार की गई जानकारी का प्रकाशन कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित किया जाए और विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराई जाए। विभागीय वेबसाईट पर जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण इस संबंध में राज्य शासन द्वारा गठित एक उपसमिति द्वारा किया जा रहा है। अंतिम रूप से प्रक्रिया का निर्धारण होने पर आपको पृथक से सूचित किया जाएगा।

3.3 पैरा– 3.2 अनुसार जो जानकारी प्रकाशित की जाएगी, उसे प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाएगा।

3.4 लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों से संबंधित सुसंगत तथ्य, जो आम जनता को प्रभावित करते हों, उपरोक्त पैरा–3.2 में उल्लिखित अनुसार प्रकाशित किए जाएंगे।

3.5 नियमित अंतरालों में प्रत्येक लोक अधिकारी द्वारा स्वमेव विभाग से संबंधित समस्त जानकारी उपरोक्त पैरा–3.2 में उल्लिखित अनुसार प्रकाशित कर आम जनता को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचनाएं/जानकारी प्राप्त करने की कम से कम जरूरत पड़े।

3.6 प्रत्येक सूचना/जानकारी इस प्रकार व्यापक रूप से सूचना पटल, समाचार पत्र, सार्वजनिक उद्घोषणा, मीडिया प्रसारण, इंटरनेट और अन्य प्रकार से प्रकाशित कर उपलब्ध कराई जाएगी कि वह आम जन को आसानी से उपलब्ध हो सके।

3.7 विभिन्न स्तरों पर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के आवेदन पत्रों का पंजीयन इस हेतु एक पंजी निर्धारित कर किया जाएगा जिसमें आवेदन प्राप्ति का दिनांक, आवेदक का नाम तथा पता एवं चाही गई जानकारी का संक्षिप्त विवरण व आवेदन के निराकरण की स्थिति की जानकारी कॉलम बनाकर दर्ज की जाएगी।

3.8 अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना के अधिकार का उपयोग करने हेतु आवेदन का कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है। यहां तक कि मौखिक रूप से भी आवेदन लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

3.9 आवेदन पत्रों का निराकरण–

- लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदनों को प्राप्त होने के दिन ही कार्यालय की संबंधित शाखाओं को वांछित जानकारी की प्रमाणित छायाप्रतियां उपलब्ध कराने हेतु भेजा जाएगा।
- प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में अधिकतम 30 दिन की समय–सीमा में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को वांछित जानकारी/सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी।

- जिन प्रकरणों में अधिनियम के प्रावधानों एवं विभाग के मैन्युअल के अन्तर्गत जानकारी दी जाना संभव नहीं होगा, ऐसे प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर लिखित में सूचित करेगा।
- महत्वपूर्ण एवं गोपनीय प्रकरणों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी अपने नियंत्रण अधिकारी को टीप सहित नस्ती प्रस्तुत करेगा।
- नियंत्रण अधिकारी प्रकरण में आवश्यक निर्णय लेकर एक सप्ताह के भीतर प्रकरण से संबंधित नस्ती लोक सूचना अधिकारी को लौटाएगा।

3.10 अपील--

- विभाग के तहत प्रत्येक स्तर की प्रशासनिक इकाई के लिए अपील प्राधिकारी नामांकित किए गए हैं।
- आवेदक लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील 30 दिन के भीतर इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा, जिस पर 30 दिन की समय--सीमा में अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
- द्वितीय अपील राज्य स्तरीय सूचना आयोग को की जा सकेगी।

4/ **ध्यान रहे, इस अधिनियम के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित समय--सीमा के भीतर आवेदक को जानकारी उपलब्ध न कराने/अपूर्ण या गलत जानकारी उपलब्ध कराने और दुर्भावनापूर्वक आवेदक को वांछित सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत लोक सूचना अधिकारी पर आवेदन प्राप्ति के दिनांक से जब तक आवेदित जानकारी उलपब्ध नहीं करा दी जाती है, तब तक की अवधि के लिए प्रत्येक दिन के लिए रु. 250/-- तक शास्ति आरोपित कर सकता है जो अधिकतम 25,000 रु. तक हो सकेगी।**

5/ इस पत्र के संलग्न विभाग के अधीन प्रत्येक स्तर की प्रशासनिक इकाई के लिए अधिनियम, 2005 के तहत नामांकित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीली प्राधिकारी के नामांकन संबंधी आदेश की प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है। इसका भी प्रकाशन उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित अनुसार प्रत्येक कार्यालय के सूचना पटल पर किया जाए।

(वसीम अख्तर)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. एफ 1–24/05/22/वि–4 भोपाल, दिनांक 18/8/05

प्रतिलिपि,

1. विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश।
2. श्री भूपाल सिंह, सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. श्री वसीम अख्तर, सचिव एवं अपर विकास आयुक्त, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर.ए. खण्डेलवाल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग